न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रतापगढ जिला प्रतापगढ (राज0)

प्रकरण संख्या 96/2012 तारीख निर्णय

श्री रामचन्द्र पिता भुवानजी गायरी निवासी पानमोडी
तहसील एवं जिला प्रतापगढ (राज.) ———वादी

——बनाम——

1. श्री मोतीलाल पिता श्रीरामचन्द्रजी गायरी
2. श्रीमती पुष्पाबाई पिता श्रीरामचन्द्रजी गायरी
3 मु0 गुलाब बाई बेवा श्रीरामचन्द्र गायरी

निवासीयान पानमोडी तहसील व जिला प्रतापगढ (राज0)

———प्रतिवादीगण

वाद

तहत धारा 88–89–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद अर्न्तगत धारा 88–89–188 रा0टी0एक्ट घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी रामचन्द्र पिता श्रीभुवान दादा किशनजी गायरी के नाम पर मौजा पानमोडी तहसील प्रतापगढ में पुरानी आराजी नम्बर 101/3 रकबा 2 बीघा 10 बीस्वा व आराजी नम्बर 101/7 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा एवं आराजी नम्बर 1040/6 रकबा 3 बीघा स्थित है। इस आराजी का सेटलमेन्ट सम्वत 2039 में नये आराजी नम्बर 297 रकबा 0.28 हैक्टर व आराजी नम्बर 299 रकबा 0.83 हैक्टर दर्ज हुई है। वादी के खाते मे गेर खातेदारी मे मौजा पानमोडी मे सम्वत 2027 से 2030 की जमाबन्दी मे गत आराजी नम्बर 101/8 रकबा 2 बीघा आराजी दर्ज रेकार्ड थी । इस आराजी का नया आराजी नम्बर 298 रकबा 0.21 हैक्टर दर्ज हुॅआ है । गॉव पानमोडी मे वादी रामचन्द्र गायरी के नाम के दो व्यक्ति है जिसमे एक तो वादी स्वयं है एवं दुसरा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी नम्बर 3 के पति का नाम भी रामचन्द्र पिता भुवान है । वादी जिवित है एवं व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी नम्बर 3 के पति का नाम भी रामचन्द्र पिता भुवान जी का कई वर्षो पुर्व स्वर्गवास हो गया है । वादी के पिता का नाम भुवान व दादा का नाम किशनजी गायरी है व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी नम्बर 3 के पति का नाम भी रामचन्द्र पिता भुवान है व दादा का नाम श्रीदेवाजी गायरी है ।

उपखण्ड अधिक
प्रतापगढ

प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी नं. 3 के पति श्री रामचन्द्र पिता भुवान जी गायरी व उनके भाई जमनालाल के गत रिकॉर्ड में शामलाती खाता था जिसका सेटलमेंट मे बटवारा होकर रामचन्द्र पिता भुवान गायरी का अलग खाता दर्ज हुआ। उसमे सेहवन से सेटलमेंट वाले वादी के खाते की गत आराजी नं. 297 व 299 वादी के खाते मे दर्ज न कर प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पिता रामचन्द्र पिता भुवान गायरी के नाम दर्ज कर गये जिसका सेटलमेंट वालो को कोई हक व अधिकार नही था। वादी के खाते की गत आराजी नं. 101/8 रकबा 2 बीघा जो वादी के गैर खातेदारी मे दर्ज थी जिसका नया आराजी नं. 298 रकबा 0.21 हैक्टर दर्ज हुआ है। वो वादी के खातेदारी मे दर्ज हो गई थी लेकिन प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पिता श्री रामचन्द्र पिता भुवानजी गायरी के स्वर्गवास होने से विरासत से नामान्तरणकरण नं. 804 खोला गया उसमे वादी की आराजी नं. 298 भी प्रतिवादी नं. 1, 2 व 3 के नाम बिना जॉच किये पटवारी ने खोल दिया व तस्दीक करा दी जो गलत है। वादी जीवित है फिर भी सेटलमेंट वालो की गलती से व पटवारी हल्का की गलती से विरासत से नामान्तरणकरण प्रतिवादी नं. 1, 2 व 3 के नाम दर्ज कर दिया जो गलत है। वादी ने वाद के साथ राजस्व रिकॉर्ड की नकले पेश की। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे इससे उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया। प्रतिवादी नं. 4 उपस्थित रहे। प्रतिवादी नं. 4 की ओर से जवाब दावा पेश नही किया गया पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम मे पेश हुई। प्रतिवादी नं. 4 से रिपोर्ट मंगवाई गई रिपोर्ट मे यह जाहिर आया कि वास्तव मे वादी जीवित है व वादी के नाम का एक अन्य व्यक्ति रामचन्द्र पिता भुवान है जिसका स्वर्गवास हो गया है व वादी के खाते की आराजियात भूल से प्रतिवादी नं. 1, 2 व 3 के नाम पर व सेटलमेंट मे भी वादी के खाते की आराजियात प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पिता के नाम पर एक ही खाता हो गया। वास्तव मे वादी का खाता अलग था व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पिता का खाता अलग था।

वादी ने अपने वाद के साथ निम्नलिखित दस्तावेज पेश किये जिन पर प्रदर्श दर्ज कराया गया है :–

1— प्रदर्श–1– नकल नामान्तरणकरण नं. 804
2— प्रदर्श–2– नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 तक की
3— प्रदर्श–3– नकल जमाबन्दी सम्वत 2027 से 2030 तक की
4— प्रदर्श–4– नकल जमाबन्दी सम्वत 2027 से 2030 तक की
5— प्रदर्श–5– नकल जमाबन्दी सम्वत 2039 सेटलमेंट
6— प्रदर्श–6– नकल जमाबन्दी सम्वत 2039 सेटलमेंट
7— प्रदर्श–7– नकल जमाबन्दी सम्वत 2027 से 2030 तक की
8— प्रदर्श–8– नकल मिलानशीट

वादी ने अपनी साक्ष्य मे अपने स्वयं के बयान **PW-1** बयान कराये। वादी की प्रार्थना पर तहसीलदार प्रतापगढ को रेकार्ड व मौके के अनुसार रिपोर्ट करने हेतु आदेश दिया गया । जिस पर रिपोर्ट प्राप्त हुई। राजस्व न्याय आपके द्वार अभियान के तहत केम्प पानमोडी पर पत्रावली रखी गई जिसमे वादी ने भी निवेदन किया कि मेरी आराजी पर मै काबिज हूँ व मै जीवित हूँ व मेरी आराजी प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पिता के नाम पर सेटलमेंट मे गलती से हो गई है व उसके बाद प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पिता के स्वर्गवास होने पर विरासत से आराजीयात प्रतिवादी नं. 1, 2 व 3 के नाम पर गलत दर्ज हुई है इसलिए उसे सही कर मौजा पानमोडी मे मेरे खाते की पुराने आराजी नं. 101/3

उपखण्ड अधिकारी

रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नं. 101/7 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नं. 1040/6 रकबा 3 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा के नये आराजी नं. 297 रकबा 0.28 हैक्टर व आराजी नं. 299 रकबा 0.83 हैक्टर एवं गत आराजी नं. 101/8 रकबा 2 बीघा जिसके नये आराजी नं. 298 रकबा 0.21 हैक्टर बने है। पुराने रेकार्ड के अनुसार मै मौके पर काबिज हुँ व इस अभियान मे पत्रावली मे रिपोर्ट के अनुसार निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

मेने पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया । राजस्व रेकॉर्ड मे वादी के गत खाते की आराजीयात सम्वत् 2027 से 2030 की जमाबन्दी मे वादी के पिता भुवान पिता किशन का खाता दर्ज है जिसमे विरासत से नामान्तरणकरण 396 से आराजी वादी के नाम दर्ज हुई है एवं सेटलमेंट से पूर्व सम्वत् 2027 से 2030 में प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पिता व श्री जमनालाल का शामील खाता था। सेटलमेंट मे जमनालाल व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पिता के बटवारा हो जाने से प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पिता रामचन्द्र पिता भुवान का खाता अलग दर्ज हुआ व जमनालाल पिता भुवान का खाता अलग दर्ज हुआ जिसमे वादी का खाते की आराजीयात भी प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पिता रामचन्द्र के खाते मे दर्ज हो गया। उसके बाद प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पिता के स्वर्गवास हो जाने से विरासत से उपरोक्त आराजीयात् प्रतिवादी नं. 1, 2 व 3 के खाते मे दर्ज हो गई। रिपोर्ट के अनुसार भी यही तथ्य सामने आये है। इससे मौजा पानमोडी के आराजी नं. 297, 298 व 299 रकबा क्रमशः 0.28, 0.21 व 0.83 हैक्टर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। निर्णय आज दिनॉक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी करे ।

17.5.15

असिस्टेन्ट कलेक्टर
प्रतापगढ(राज0)

उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ

डिगरी व मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 रूल 67 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ राज.

बइजलास – श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा R.A.S.

श्री रामचंद्र पुत्र भुवान गायरी नि–पानमोडी बनाम 1 श्री मोतीलाल पुत्र रामचंद्र गायरी

2 श्रीमती पुष्पाबाई पुत्री रामचंद्र गायरी

3 मु. गुलाब बाई बेवा रामचंद्र गायरी

सभी निवासीयान –पानमोडी

वादीगण

प्रतिवादीगण

वाद

बाबत 88–89–188 रा.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर–96/12

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी मिनजानिब मुदयलह मिनजानिब मुदई पेश होकर हुकूम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी को मौजा पानमोडी की आ.नं. 297, 298, 299 रकबा कमशः 0.28, 0.21, 0.83 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.32 है. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.05.2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी,
प्रतापगढ

मुदई	रूपया	मुदायला	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		स्टाम्प वकालात नामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	